



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1133]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2003/अग्राहायणा 28, 1925

No. 1133]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2003/AGRAHAYANA 28, 1925

श्रम मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2003

New Delhi, the 19th December, 2003

का.आ. 1445(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5अ की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 295(अ) दिनांक 13 मार्च, 2003 के क्रमांक 31 और 32 के सामने भारतीय नियोक्ता परिसंघ के महासचिव श्री शरद पाटिल और फ़ैडरेशन ऑफ़ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ़ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (फ़िक्की) के श्री अश्विन दानी को इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है।

उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 295(अ) दिनांक 13-03-2003 में धारा 5अ(i)(घ) में क्रमांक 31 और 32 के सामने क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

31. श्री शरद पाटिल
महासचिव, भारतीय नियोक्ता परिसंघ
32. श्री अश्विन दानी
फ़ैडरेशन ऑफ़ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ़
कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (फ़िक्की)

[सं. वी-20012/01/2001-एसएस-II]

डी. एस. पूनिया, संयुक्त सचिव

S.O. 1445(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 5A of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby appoints, Shri Sharad Patil, Secretary General, Employees' Federation of India and Shri Ashwin Dani, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, as members on the Central Board of Trustees (EPF) against the serial No. 31 and 32 of this Ministry's notification published in the Gazette having S.O. No. 295 (E) dated 13th March, 2003.

In the said notification having S.O. No. 295(E) dated 13-03-2003 serial no. against 31 and 32 under Section 5A (1) (d), the following entries, respectively, shall be inserted, namely :—

31. Shri. Sharad Patil
Secretary General, Employees' Federation of India
32. Shri. Ashwin Dani, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)

[No. V-20012/01/2001-S.S.II]

D.S. POONIA, Jt. Secy.